(27)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
63 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	18.11.2019	10.01.2010

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री गिरीराज विजय पुत्र श्री रामप्रसाद विजय साल जाति विजयवर्गीय निवासी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द एजेन्सी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक

2– मैसर्स गोविन्द एजेन्सी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 10.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.06.2019 को समय 4.30 पी.एमं पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोविन्द एजेन्सी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। कारोबारकर्ता एंव विक्रेता की हैसियत से श्री गिरीराज विजय पुत्र श्री रामप्रसाद विजय सालं जाति विजयवर्गीय निवासी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द एजेन्सी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** जिसके बैंच नम्बर 03260 एंव पैकिग की दिनांक 10.06.2019 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री गिरीराज विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गिरीराज विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक क्रिया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे 100 कार्टून पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 250–250 एम.एल पैक की 24–24 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** रखें हुये मे से ज्यो का त्यो पैक्ड अवस्था मे 250–250 एम.एल पैक की 48 मूल पैक बोतल वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गिरीराज विजय को रू0 240/–अक्षरे दो सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** को ज्यो का त्यो 12–12 नग बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2243 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2243 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. गिरीराज विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1820 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1520/एक्ट/2019/1054 दिनांक 08.07.2019 अनुसार गिरीराज विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एंव दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज (Fun2us)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री गिरीराज विजय पुत्र श्री रामप्रसाद विजय साल जाति विजयवर्गीय निवासी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द एजेन्सी डी–107 इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर शास्ति 20,000(अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.01.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:11:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: